जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आरकैम्प(सा0प्र0) / 1696 / 2020 दिनांकः 19 अगस्त, 2020

महत्वपूर्ण / सम्यबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–वित्तीय वर्ष–2018–19 एवं 2019–20 में वितरित की गई दशमात्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि के सत्यापन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पिछड़ावर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश के संलग्ल पत्र संख्याः–684 / पि0व0क0 / 2020–21 दिनांकः 14 अगस्त, 2020 के अनुपालन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को संबोधित संलग्ल पत्र संख्याः–37 / पि0व0क0 / छात्रवृत्ति / 2020–21 दिनांकः 17 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त पत्रों के क्रम में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि **"वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में आपके अधीनस्थ जनपद के समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त तकनीकी / गैर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को वितरित की गयी छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का सत्यापन कराते हुए, जो छात्र उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए है या समस्त सेमेस्टर में फेल है व उनकी उपस्थिति 75 पतिशत से कम रही हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से उक्त वर्षों में वितरित छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की वसूल तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शिक्षण संस्थानवार सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध किया जाना हैं।"**

अतएव, प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत यह अपेक्षित है कि दिनांकः 25 अगस्त, 2020 तक सम्बन्धित सूचना जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बलिया को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय / छात्र के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

संलग्नकः यथोक्त

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलिया।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलिया।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 684 /पि0व0क0/2020-21, लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वितरित की गयी दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-2432/पि0व0क0/2019-20 दिनांक 20 फरवरी, 2020, पत्र संख्या-2487/पि0व0क0/2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 एवं पत्र संख्या-188/पि0व0क0/2020-21 दिनांक 11 जून, 2020 का संदर्भ [illegible] करें, जिसके [illegible] दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के क्रम में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का सत्यापन कराते हुए, अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र/शिक्षण संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए उसकी शिक्षण संस्थावार सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु आपको बार-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी अभी तक आपके स्तर से संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना इस निदेशालय को उपलब्ध नही करायी गयी है।

तत्क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर-15(ii) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में आपके जनपद की तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को वितरित की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का सत्यापन कराते हुए, [illegible] वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नही हुए हैं या समस्त सेमेस्टर में फेल हैं व [illegible] उपस्थिति 75 [illegible] से कम रही है, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से उक्त वर्षो में वितरित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए शिक्षण [illegible]वार सूची माह [illegible]स्त, 2020 के अन्त तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा कृत-कार्यवाही की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध नही करायी जाती है और [illegible] प्रकरण के सम्बन्ध में यदि आपके जनपद से सम्बन्धित ऐसा कोई प्रकरण निदेशालय के संज्ञान [illegible] ता हैं, तो इसके लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा।

भवदीय,
14.8.2020
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0/684/पि0व0क0/2020-21/तददिनांकित।
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

14.8.2020
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

855 DBWO

(ओंकार प्रसाद शाही)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
14/8/2

Scanned with CamScanner

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध/आवश्यक

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलिया।

पत्रांक– 37 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 17 अगस्त, 2020

सेवा में,

1. कुल सचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया/प्रधानाचार्य, राजकीय आइ0टी0आई, बलिया/प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालिटेक्निक,बलिया।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–684/पि0व0क0/2020–21/लखनऊ/ दिनांक 14 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में दिये गये प्रवधानों के कम में वर्ष 2018–19 एंव 2019–20 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सत्यापन कराते हुए अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र/शिक्षण संस्था के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए शिक्षण संस्थावार संदर्भित प्रकरण की सूचना निदेशालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली–2017 प्रस्तर–15 (2) में उल्लिखित प्रविधानों के कम में **वित्तीय वर्ष 2018–19 एंव 2019–20 में आपके अधिनस्थ जनपद के समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त तकनीकी/गैर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को वितरित की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का सत्यापन कराते हुए, जो छात्र उस वर्ष की परीक्षा में सम्मलित नहीं हुए है या समस्त समेस्टर में फेल है व उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रही है, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से उक्त वर्षो में वितरित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की वसूली तथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शिक्षण संस्थानवार सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध किया जाना है।**

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त तकनीकी/गैर तकनीकी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्त सम्बन्धित सूचना को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25 अगस्त, 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं के विरूद्व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण शासन/निदेशालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय संस्थाओं की होगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव कुमार यादव)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, लखनऊ।
2. निदेशक महोदया, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
5. उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आजमगढ़ मण्डल–आजमगढ़।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

Scanned with CamScanner